जयपुर उद्योग लिमिटेड की ओर बकाया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

3892. **श्री भंवर लाल पंवार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की एक सीमेंट उत्पादन इकाई-जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर की ओर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कितनी धनराशि बकाया है ;

(ख) इस इकाई द्वारा सम्पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग किये जाने पर केन्द्रीय सरकार को इससे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष औसतन कितनी धन-राशि की आय होती है ;

(ग) इस इकाई के बंद हो जाने की दशा में इसमें कार्यरत लगभग पांच हजार कर्मकारों के भविष्य के संबंध में सरकार की क्या योजना है, और

(घ) क्या सरकार इस इकाई का प्रबन्ध ग्रहण करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड की तरफ 1 अगस्त, 1987 को स्थिति के अनुसार ब्याज सहित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कुल बकाया राशि 72030156 रु० है।

(ख) यदि इस एकक द्वारा उत्पादन की पूर्ण क्षमता से उत्पादन किया जाता तो इस एकक से निम्न प्रकार से प्रति वर्ष केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की औसत राशि वसूल की जा सकती थी --

वर्ष	धनराशि
	करोड़ पए
1983-84 . .	17.5
1984-85 . .	17.5
1985-86 . .	21.8
1986-87 . .	21.8

(ग) और (घ) इस एकक के संरक्षक साझेदारों द्वारा इस एकक को बन्द होने से बचाने के लिए विभिन्न सुविधाएं देकर प्रयास किये जा रहे हैं । इस एकक को भविष्य की स्थिति के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

Purchase of ammunition

3893. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whe her- it is a fact that a large quantity of ammunition was purchased by Government last year;

(b) what is the total amount involved in this deal.

(c) whether the quality of the purchased ammunition has been tested;

(d) whether the Ministry of Defence also purchased 81 mm ammunition recently;

(e) whether the Army has found this ammunition below the standard;

(f) whether it was put to qualiy test before purchase; and

(g) whether the Army has advised Government to claim damages for the losses?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) to (g) The requirements of Army for different types of Ammunition are generally met by Direc'or General of Ordnance Factories In cases where any item of ammunition is not available indigenously, in the desired time frame, import of minimum essential quantities is resorted to. As regards 81 mm ammunition, after holding trial evaluation and technical/commercial negotiations with a number of firms, a contract was concluded with M/s Hirtenberger of Austria on 14-3-1986 on the basis of the lowest technically acceptable offer. the ammuni-